प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

सेवा में,

प्रबन्धक

सरगंगा राम सरस्वती ज्ञान पीठ
आँवला नगरक्षेत्र- आँवला {बरेली}

पत्रांक / एस0टी0 / 13106-11 / अस्थाई मान्यता / प्राइमरी स्तर / 2007-08 दिनांक- 31/12/07

विषयः- प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता वर्ष 2007-08 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपके द्वारा शैक्षिक सत्र 2007-08 में प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता आवेदन पत्र में अंकित सम्बन्धित निरीक्षण / जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या 230 / 15.06.96.18 एस (7) 89 दिनांक 18.01.96 शासनादेश संख्या 15.06.96.1 एस (7) 898 दिनांक 13 जुलाई 1998 एवं शासनादेश संख्या 1873 / 15.06.98.18 एस (7) / 89 दिनांक 10 सितम्बर 1998 में निहित प्रविधानुसार मान्यता समिति की बैठक में सर्व सम्मति के लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय की वर्तमान शैक्षिक सत्र 01.07.2007 से अस्थाई मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह अस्थाई मान्यता भी स्थाई प्रकृति की होगी तथा इस निमित्त प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते विद्यालय निर्धारित समस्त शर्तो की पूर्ति करता रहे।

उक्त अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धकों को पांच वर्ष में स्थाई मान्यता हेतु निर्धारित समस्त शर्तो की प्रतिपूर्ति कर लेने पर स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक / प्रबन्धतत्र / प्र0अ0 को शासन एवं विभागीय आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा। इसके साथ ही आपके विद्यालय का किसी भी निरीक्षक / निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण करते समय उक्त अधिकारी के साथ उपस्थित कर्मचारी द्वारा निरीक्षण हेतु मांगे जाने वाले अभिलेखों को तत्काल उपलब्ध कराना आपका दायित्व होगा अन्यथा की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको बिना नोटिस दिये मान्यता समाप्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

1- आपके विद्यालय की कक्षा-1 से 5 तक के लिये अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है। अतः उक्त विद्यालय के भवन में किसी भी दशा में एन0सी0 के0जी0 आदि असामान्य कक्षाओं का संचालन कदापि न किया जाये।

2- विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों / अध्यापिकाओं कर्मचारियों को नियमानुसार वही वेतनमान एवं भत्ते देय होगें जो परिषद में समान पद धारक अध्यापकों / अघ्यापिकाओं / कर्मचारियों को देय होगें।

3- किसी भी अध्यापक / कर्मचारी को सिवाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के पदच्युत करने सेवा से हटाने एवं सेवा समाप्त करने का अधिकार आपका नहीं होगा।

4- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अध्याय-8 के नियम-4 के अधीन विद्यालय के छात्र / छात्राओं से रू0 15 (रू0 पन्द्रह) प्रतिमाह की दर से शुल्क लिया जाये। इसके अतिरिक्त कोई भी धनराशि चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये शुल्क या चन्दा या अभिदान के रूप में छात्र / छात्रओं से कदापि न लिया जाये।

5- विद्यालय के लिये विद्यालय के निजी भवन की व्यवस्था की जाये।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

पृ0सं0 / एस0टी0 / ——— / अस्थाई मान्यता / प्राइमरी स्तर / 2007-08 दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- प्रतिलिपि सहायक शिक्षा-निदेशक (बेसिक) तृतीय मण्डल बरेली।

2- प्रतिलिपि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, वि0क्षे0 **नगरक्षेत्र- आँवला {बरेली}**

3- प्रतिलिपि समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, बरेली।

4- नगर शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र **नगरक्षेत्र आँवला {बरेली}**

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

Manager
Sir Gangaram Saraswati Gyan Peeth
Aonla, Bareilly

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

सेवा में,

प्रबन्धक
सरगंगाराम सरस्वती ज्ञानपीठ,पूर्व मा0विद्यालय
कस्बा, आवंला, नगर क्षेत्र-आवंला (बरेली)

पत्रांक/व0लि0/मान्यता/ 15099-105 /2007-08 दिनांक 31/01/08

विषयः— अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर (कक्षा–6 से 8 तक) अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0–646–15–6–97–18/7(99) दिनांक 13 अगस्त, 1997 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर गठित अस्थाई जू0 हाईस्कूल मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर पर (कक्षा–6 से 8 तक) की अस्थाई मान्यता जांच अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर शैक्षिक सत्र 2007–08 से इस प्रतिबंध के साथ अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है कि यदि कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया गया तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही करने का अधिकार मान्यता समिति के पास सुरक्षित होगा। प्रत्येक कक्ष हेतु एक–एक वर्ग/सेक्सन की अनुमति प्रदान की जाती है। विद्यालय में सभी शिक्षक/शिक्षिका प्रशिक्षित रखे जांय।

प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों/शिक्षकों को मिनीमम वेजेज एक्ट के तहत चैक द्वारा भुगतान करना होगा। शासनादेश में निहित मानक के अनुसार विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होगें।

1.	प्रधानाध्यापक	—	एक
2.	सहायक अध्यापक	—	चार पद (त्रिभाषा सहित)
3.	लिपिक	—	एक पद
4.	चतुर्थ श्रेणी	—	एक पद
	कुल जनशक्ति	—	सात पद

उक्त जनशक्ति में पद मानक के अनुसार सम्मिलित माने जायेगें। आरक्षण के नियमों का पालन नियुक्ति अनुमोदन में पालन किया जाना अति आवश्यक होगा, साथ ही यह भी आवश्यक है कि आगामी शैक्षिक सत्र में विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों से ही शिक्षण कार्य लिया जाय। भविष्य में निरीक्षण के समय यदि अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य होता पाया गया तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्ध तंत्र का होगा।

भवदीय

(मनोज कुमार वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

पृ0सं0 मान्यता/ /2007–08 तद्दिनांक.........

प्रतिलिपिः— निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
2. सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) बरेली मण्डल, बरेली।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बरेली।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, बरेली।
6. नगर शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र आवंला ....बरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

Manager
Sir Gangaram Saraswati Gyan Peeth
Aonla, Bareilly

C:\Documents and Settings\Hp\Desktop\letter.doc